

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

पटना, दिनांक- अप्रैल, 2016

विषय:-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-114/4/8/2013-WC/OC दिनांक-21.01.2016 में पारित आदेश के आलोक में मोतिहारी नगर थाना काण्ड सं0- 538/12 दिनांक-29.12.2012 में पीड़ित विक्रिप्त महिला के समुचित इलाज एवं उसके बेहतरी पर खर्च के लिए स्वीकृत राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का पीड़िता के नाम एक Corpus Fund बनाने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र भुगतान के संबंध में आदेश/राज्यादेश संख्या-3693 दिनांक-13-04-2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष-2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N2235602000011 विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से कुल ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-

2.

स्वीकृत।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषयांकित वाद में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को पीड़िता के समुचित इलाज एवं उसके बेहतरी पर खर्च के लिए राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का पीड़िता के नाम एक Corpus Fund बनाने हेतु जिला पदाधिकारी, मोतिहारी को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को कुल में आवंटित राशि
₹00/- (शून्य)	₹1,00,000/- (एक लाख)	₹1,00,000/- (एक लाख)

3. उक्त आवंटित राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड- N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा यथा विषयांकित पीड़िता के समुचित इलाज एवं बेहतरी के लिए पीड़िता के नाम एक Corpus Fund बनाने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उपलब्ध करायी जा रही है।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग पीड़िता की समुचित पहचान कर उसके समुचित इलाज एवं बेहतरी के लिए की गई है।



5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी होंगे।
6. उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से की जायगी।
7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की होगी।
8. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का यह दायित्व होगा कि खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
9. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा मात्र उक्त पीड़िता के समुचित इलाज एवं बेहतरी के लिए किया जायेगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
10. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
11. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
12. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-/ पटना, दिनांक , 2016
प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी0, जी0पी0ओ0 कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्रांक/वाद 114/4/8/2013-WC/OC दिनांक-21.01.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 3694...../ पटना, दिनांक-13/04/2016
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

Jitendra
13.04.16